

कार्यालय जिला पंचायत रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

// विज्ञापन //

क्रमांक / 1336 / जि.पं. / प्र.मं.आ.यो.(ग्रा.) / नियुक्ति / 2018

रायगढ़, दिनांक 05/05/18

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 3282/आर 1760/22-1/2016 नया रायपुर, दिनांक 22.10.2016 में स्वीकृत सेटअप के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जिला / जनपद स्तर पर रिक्त सविदा पदों के विरुद्ध निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने वाले उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक 15/5/18 को सायं 5:30 बजे तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-रायगढ़ के नाम से पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से जमा किए गए या विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

पदों का विवरण :-

पदनाम	कुल रिक्त पद	रिक्त पदों का विवरण			
		अजजा		अनारक्षित	
		मुक्त	महिला	मुक्त	महिला
विकासखण्ड समन्वयक (जनपद स्तर) (बैकलॉग पद)	02	01	01	-	-
लेखापाल (जिला स्तर)	01	-	-	01	-
सहायक ग्रेड-03 (जिला स्तर)	01	-	-	01	-

पद का वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता :-

पदनाम	सविदा वेतन	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	मेरिट हेतु अंक का निर्धारण	
विकासखण्ड समन्वयक	28,080/- (एकमुश्त प्रतिमाह)	1. प्रथम श्रेणी में एम.बी.ए. / बी.ई. (सिविल) 2. शासकीय एवं गैर शासकीय कार्य में कम से कम 02 वर्षों का अनुभव।	हायर सेकेन्ड्री में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	60
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	40
लेखापाल	16445/- (एकमुश्त प्रतिमाह)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत के साथ बी0कॉम उत्तीर्ण। (अजा. एवं अजजा. हेतु 50 प्रतिशत बी0कॉम उत्तीर्ण) तथा कम्प्यूटर का ज्ञान।	हायर सेकेन्ड्री में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	20
			न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	50
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा	15
			शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य का अनुभव (न्यूनतम 01 से 02 वर्ष हेतु 05 अंक, 05 वर्ष तक का अनुभव में 10 अंक तथा 05 वर्ष से अधिक का अनुभव में 15 अंक।	15
सहायक ग्रेड-03	12675/- (एकमुश्त प्रतिमाह)	1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेन्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण पत्र तथा 3. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी।)	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	40
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त मेरिट अंक के आधार पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	45
			शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य का अनुभव (न्यूनतम 01 से 02 वर्ष हेतु 05 अंक, 05 वर्ष तक का अनुभव में 10 अंक तथा 05 वर्ष से अधिक का अनुभव में 15 अंक।	15

नियुक्ति की अवधि :- संविदा नियुक्ति 31 मार्च 2019 तक के लिये होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्य की योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शारान के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि पुनः एक वर्ष के लिए बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

आयु सीमा :- दिनांक 01.01.2018 को न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होगी। छ0ग0 शासन द्वारा समय-समय पर उच्चतम आयु सीमा में दी गई छूट लागू होगी।

नियम व शर्तें :-

1. आवेदन पत्र जिला पंचायत द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा।
2. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा। राक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
3. सूक्ष्म प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसके संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
4. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश प्रभावशील होंगे।
5. आवेदक जिनकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
6. आवेदक, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
7. छ0ग0 सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 प्रभावशील रहेगा।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
9. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा अधिकारी / कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार का पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
10. सत्यापन के दौरान सगरत मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा स्वतः प्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा।
12. लिफाफे के ऊपर पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, का स्पष्ट उल्लेख किया जावे अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इसी प्रकार लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखें।
13. प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना होगा। पेपर कटिंग वाले आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।
14. शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
15. विज्ञप्ति अनुसार पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
16. संविदा नियुक्ति पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
17. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
18. आवेदन पत्र में पारापोर्ट साईज का नवीनतम फोटो चिपकाना अनिवार्य है।
19. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
20. नियुक्ता के साथ करार पत्र (संविदा पत्र) निष्पादित करना होगा।
21. प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
22. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में कोई अलग से सूचना नहीं दी जावेगी।
23. एक पद के लिए एक से अधिक आवेदन करने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जायेगा।
24. चयनित जिला / जनपद पंचायत मुख्यालय में निवास कर कार्य करना होगा।
25. चिकित्सा एवं पुलिस सत्यापन के पश्चात कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।
26. विज्ञापन में तथ्यात्मक / लिपिकीय / रिक्तियों आदि संबंधित त्रुटियां सुधारी जा सकती है। जिसकी सूचना विधिवत प्रकाशित होगी।
27. अनुसूचित जनजाति वर्ग में महिला वर्ग के अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में अनुसूचित जनजाति के पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी को लिया जावेगा।
28. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के आधार पर बनायी गई वरीयता सूची में से 01 पद के विरुद्ध 05 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

BR

// 3 //

29. जो अन्वय्यी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उनकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी ।
30. अन्वय्यियों को अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में वेतन उल्लेखित नियुक्ति आदेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
31. कौशल परीक्षा / पदभार ग्रहण या अन्य यात्रा पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
32. भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी विवाद अथवा समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ के पास सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा ।

टीप :- उपरोक्त पदों के भर्ती संबंधी नियम एवं शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप जिला पंचायत, रायगढ़ के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाईट www.raigarh.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /1337/ जि.पं. /प्र.मं.आ.यो.(ग्रा.) /नियुक्ति/2018
प्रतिलिपि:-

रायगढ़, दिनांक 05/05/18

1. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. संचालक (PMAY-G), विकास आयुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
3. कलेक्टर, जिला रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ ।
4. जिला रोजगार अधिकारी, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
5. वेब इंफार्मेशन आफिसर, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ । आधार एक्ट 2016 एवं आईटी एक्ट 2000 का पालन करते हुए तैयार की गई सूची को वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें ।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, रायगढ़ । कृपया उपरोक्तानुसार सूची को वेब साईट www.raigarh.gov.in में प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।
7. राहायक संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग रायगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने का कष्ट करें ।
8. सूचना पटल पर चरपा हेतु ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, रायगढ़ (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत पद के लिए
संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन

प्रति

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, रायगढ़ (छ.ग.)

आवेदक द्वारा
स्व-अभिप्राणित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का फोटो
बस्पा करें

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में) :-
- (अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) :-
2. पिता/पति का नाम (हिन्दी में) :-
- (अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) :-
3. लिंग (महिला / पुरुष) :-
4. जन्मतिथि (अंकों में) :-
- (शब्दों में) :-
5. दिनांक 01.01.2018 को आयु :- वर्ष माह दिन
6. क्या आप छोगो के मूल निवासी हैं (हां/नहीं) :-
7. वर्ग (अजा/अजजा/अपिव/सामान्य) :-
- उल्लेख करें ।
08. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में) :-
-
-
09. स्थायी पता (हिन्दी में) :-
-
-
10. मोबाईल नंबर (यदि हो तो) :-
11. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	परीक्षा में सम्मिलित विषय / विषय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	बोर्ड / विश्व विद्यालय का नाम	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1							
2							
3							
4							

//2//

12. यदि आप शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-
(अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में वेतन उल्लेखित नियुक्ति आदेश की प्रति संलग्न करें।)

क्र.	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव तिथि			नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक व दिनांक
			दिनांक से	दिनांक तक	कुल वर्ष	
1						
2						
3						
4						

12. क्या आप निःशक्त हैं? :-
- यदि हां तो निःशक्तता का प्रतिशत :-
- एवं निःशक्तता का प्रकार :-
- (अस्थि / श्रवण / दृष्टि) :-

13. वैवाहिक स्थिति :-
- क. विवाहित / अविवाहित :-
- ख. विवाहित होने पर विवाह की तिथि :-

ग. परिवार के संतान का विवरण :-

क्र.	नाम	पुत्र/पुत्री	जन्म दिनांक
1			
2			
3			

14. सहपत्र :- प्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची ।

.....

.....

.....

.....

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

— घोषणा पत्र —

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गई संपूर्ण जानकारी सत्य एवं सही है। मैं सहमति देता/देती हूँ कि किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर मुझे चयन/सेवा से वंचित किया जा सकता है एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा। मुझे के पद पर नियुक्ति की पात्रता है। जिसे आवश्यकता होने पर प्रमाणित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम :

पता :